

प्रस्तावना

1.1 हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि (सूचना का अधिकार 2005)

1. यह पुस्तिका प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करने का कार्य करेगी जो मध्यप्रदेश के शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैनम.प्र./शासन से अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के सन्दर्भ में जानकारी चाहता है।
2. यह हस्तपुस्तिका आवेदको की सुविधा के लिए बनायी जा रही है।
3. यह हस्तपुस्तिका सूचना का अधिकार 2005 की धारा 4 में उल्लेखित प्रावधानों के परिपालन में बनायी जा रही है।
4. सूचना के अधिकार 2005 की धारा 4 में (उपधारा 1 से 18 तक) में दिए गये प्रावधानों को इसमें समाहित किया गया है।

1.2 शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन द्वारा निर्मित इस स्वयं प्रकटीकरण मैनुअल (हस्तपुस्तिका) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1. महाविद्यालय संगठन के क्रियाकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
2. महाविद्यालय में कार्यरत कर्मियों में उत्तरदायित्व के साथ जवाबदेही का बोध लाना।
3. हस्तपुस्तिका के पाठकों को संस्था से संबन्धित सूचनाओं से परिचित कराना।
4. संगठन के हितग्रहियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं की प्रक्रिया, मानक, आवश्यक दस्तावेजों तथा सुविधाओं के संदर्भ में दिए जाने वाले लाभों से परिचित कराना। समस्त हितग्रहियों को संस्था की संगठन की संरचना, कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी, उनको प्राप्त परिलब्धियाँ, इत्यादि सुसंगत सूचनाओं से परिचित कराना।

1.3 यह हस्तपुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिए उपयोगी है।

1. अध्ययनरत विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी अथवा अन्य विद्यार्थी
2. समस्त अभिभावक
3. क्षेत्रान्तर्गत आने वाले अन्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
4. उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कार्यालय यथा संभागीय अतिरिक्त संचालक, संचालनालय एवं मंत्रालय
5. संस्था से जुड़े पब्लिक प्राइवेट पार्टनर तथा जनभागीदारी समिति।
6. विश्वविद्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में महाविद्यालय स्थित है।
7. मूल्यांकन एवं प्रत्यायन संस्थाएं।
8. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित आवेदक
9. सामान्य जन एवं जन प्रतिनिधि
10. जानकारी प्राप्ति के इच्छुक अन्य व्यक्ति/संस्थाएं।

1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप

यह हस्तपुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 4(16) में उल्लेखित बिन्दुओं को समाहित करते हुए अग्रलिखित अध्यायों में विस्तारित है।

अध्याय-1 प्रस्तावना

अध्याय-2(मैनुअल-1) संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य।

अध्याय-3(मैनुअल-2) अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य।

अध्याय 4(मैनुअल-3) कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

अध्याय 5(मैनुअल-4) नीति निर्धारण व क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधियों से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण।

अध्याय 6(मैनुअल-5) लोक सूचना अधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्ग [Categories] के अनुसार विवरण

अध्याय 7(मैनुअल-6) बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य संबंधित निकायों का विवरण

अध्याय 8(मैनुअल-7) लोक सूचना, सहायक लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां।

अध्याय 9(मैनुअल-8) निर्णय लेने की प्रक्रिया।

अध्याय 10(मैनुअल-9) अधिकारियों और कर्मचारियों को आबंटित शाखाएँ तथा संपर्क।

अध्याय 11(मैनुअल-10) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा अर्जित मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति।

अध्याय 12(मैनुअल-11) प्रत्येक विभाग/शाखा को आबंटित बजट (सभीयोजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण) की सूचना।

अध्याय 13(मैनुअल-12) अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों योजनाओं के

क्रियान्वयन की रीति। अध्याय 14(मैनुअल-13) रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में विवरण।

अध्याय 15(मैनुअल-14) कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम।

अध्याय 16(मैनुअल-15) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ।

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों से संबंधित जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो।

अध्याय 17 (मैनुअल-16) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों अन्य को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/ संगठन द्वारा की गई सार्वजनिक व्यवस्था का विवरण

1. Office library 2. Drama and shows 3. Through News Paper 4. Display on Notice Board
5. Inspection of Records 6. System issuing of copies of documents
7. Printed manual available 8. Website of the Public Authority 9. Other means of, dissemination

अध्याय-18 (मैनुअल-17) संबंधित अन्य उपयोगी जानकारियाँ

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 संलग्न

परिभाषाएँ:-

1. जनभागीदारी 2. छात्रवृत्तियाँ 3. योजनाएँ 4. रोकड़ पुस्तिका 5. सम्मिलित कोष 6. पी.डी. निधि 7. सूचना 8. लोक प्राधिकारी 9. जन सहयोग 10. जन सेवा 11. नियम, विनियम एवं अनुदेश 12. प्राधिकारित अधिकारी, अधिसूचना 13. परिश्रमिक परिलब्धियाँ 14. अनुदान, राज्य सहायता 15. इलेक्ट्रॉनिक रूप

1.6 हस्तपुस्तिका में सम्मिलित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं अन्य जानकारियों के लिए सम्पर्क व्यक्ति।

इस हस्तपुस्तिका में वर्णित जानकारी एवं अन्य जानकारियों के लिए निम्नलिखित शासकीय सेवकों से कार्याकालीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है:-

1. प्राचार्य
2. प्रशासनिक अधिकारी
3. प्राध्यापक/ सहा. प्राध्यापक/ सहा. लोक सूचना अधिकारी / ग्रन्थपाल/ क्रीडाधिकारी
4. मुख्य लिपिक

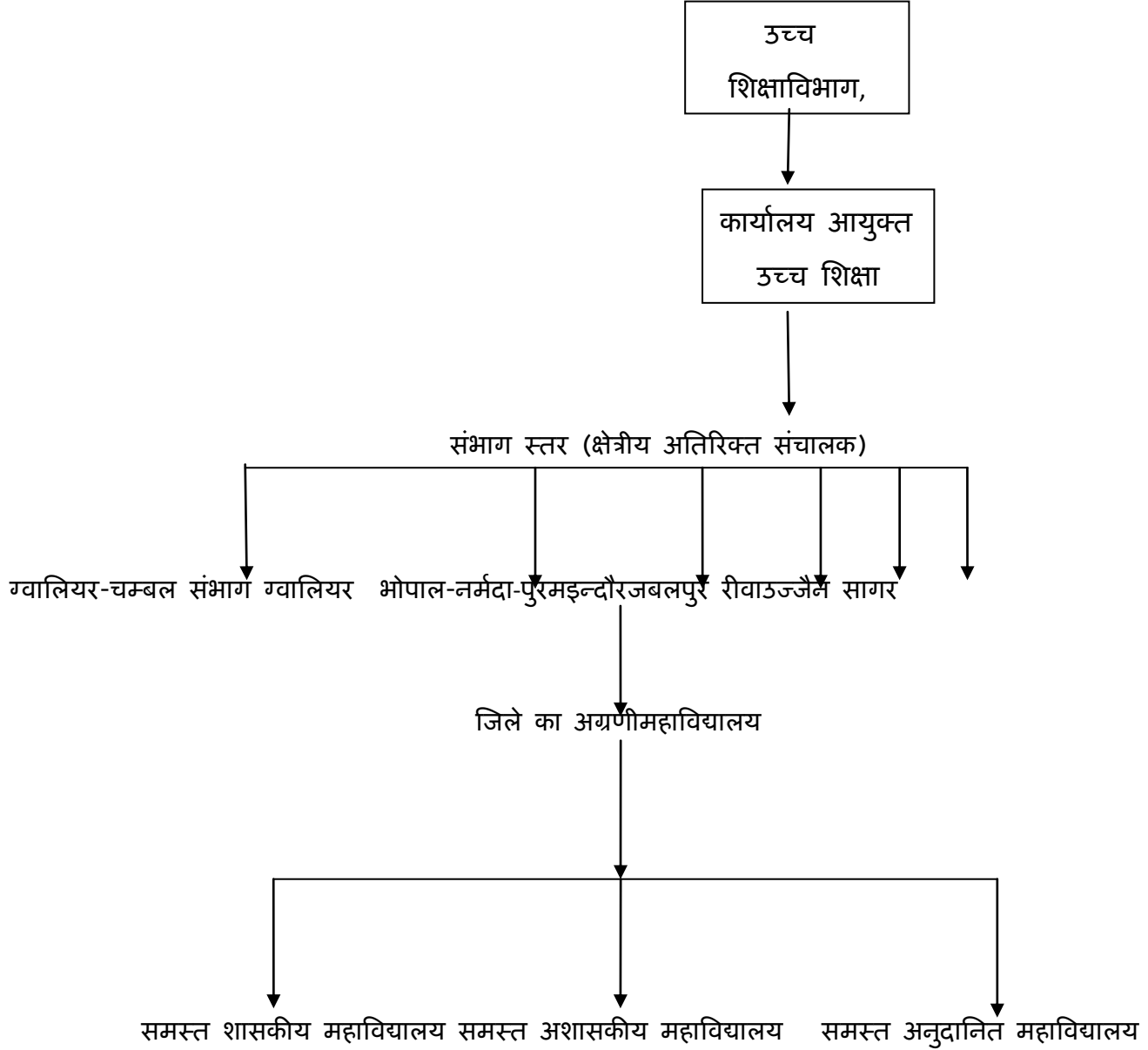
1.7 हस्तपुस्तिका के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क:-

हस्तपुस्तिका के अतिरिक्त अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय के नियमों/ प्रावधानों में निहित आवेदन/ अभ्यावेदन द्वारा अथवा लोक सूचना अधिकारी/ सहा.लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित सूचना का अधिकार 2005 में निहित प्रावधानोंके अन्तर्गत आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया तथा शुल्क का विस्तृत विवरण इस हस्तपुस्तिका के अध्याय 18 मैनुअल के बिन्दु क्रमांक 18.2 में उल्लेखित है।

अध्याय-2 (मैनुअल-1)

संस्था की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों(शासन, निदेशालय, क्षेत्र जिला ब्लॉक आदि) का संगठनात्मक संरचना:-



2.2 लोक प्राधिकरणकाविजन

विज्ञानमेंगुणवत्तापूर्णपिक्षा प्रदानकरनेवालामूल्यपरकसंस्थानजोपर्यावरणऔरसामाजिकसरोकारों से युक्तविद्वानों का निर्माणकरने के लियेनिरंतरप्रयत्नशीलहाजो 21 वींसदीमेंदेष की सर्वश्रेष्ठसेवाकरेंगे।

2.3 लोक प्राधिकरण का(मिशन) –

- पिक्षणअनुसंधानऔरसामाजिकजिम्मेदारी से मूल्य संचालितउत्कृष्टता का अभ्यासकरकेनवाचारऔरसमावेश के साथ एक संस्थानहोने के लिए प्रतिबद्ध है।
- बडेपैमानेपरविज्ञान का प्रसारऔरउसकाप्रसार।
- राष्ट्र की सेवा के वैज्ञानिकनैतिक, परिस्थितिकऔरआर्थिकपहलूओं के लिए एक अंतः विषय वातावरणमेंसीखने की नैतिकताबनाएं रखें, औरलागूकरें।
- लचीलेपाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रोंकोव्यापक रूप से लागूकौशल-सेटप्रदानकरना।
- उद्योग की आवश्यकता का समर्थनऔरनवाचार की भावनापैदाकरना।
- मूल्यपरक, उत्कृष्टता का अभ्यासकरतेहुए पिक्षण, षोध एवंसामाजिकउत्तरदायित्वमेंमूल्यपरकउत्कृष्टता
- नवाचारी एवंसमावेशीसंस्थान के लिए प्रतिबद्ध।

2.4 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास

शा माधव विज्ञानस्नात्कोत्तर महाविद्यालय की स्थापना तत्कालीन माधव महाविद्यालय उज्जैन में होकर। अपना तत्कालीन भवन में 1969 में स्थानांतरित हुआ। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 2F एवं 12 B की मान्यता प्राप्त है। महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बैंगलौर द्वारा तृतीय चयन में A++ ग्रेड प्रदान किया गया।

2.5- लोक प्राधिकरण के कर्तव्य-

शासकीय नियमानुसार

2.6 लोक प्राधिकरण के मुख्य कर्तव्य-

2.6 1.अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण/सीखने की प्रक्रिया से व्यक्तित्व का निर्माण।

2.अध्ययनरत विद्यार्थियों की अध्ययन/अध्यापन द्वारा क्षमता एवं कौशल का संवर्धन।

3.अध्ययन/अध्यापन के लिये समुचित आधारभूत संरचना और बौद्धिक वातावरण को विकसित करना।

4.संगठन में कार्यरत कर्मियों की क्षमता/ कौशल का संवर्धन/ आवश्यक सुविधायें प्रदान करना।
उनके स्वत्वों तथा हितों को प्रशासनिक दृष्टि से सुनिश्चित करना।

5.उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची व संक्षिप्त विवरण-

2.7 लोक प्राधिकरण(संस्था) द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची व संक्षिप्त विवरण-

2.7 1 निम्नलिखित संकायानुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षण सुविधा उपलब्ध है-

Subject Combination UG & PG 2022-23

Sr No.	College Code	Course Mode	Course Level	Course code	Branch Name	Total Seats	Duration
1	1812	SIF	UG	C030	B. C. A.- (BCA)	70	03
2	1812	SIF	UG	C062	B. Sc.- (Biotechnology - Botany - Chemistry)	50	03
3	1812	SIF	UG	C080	B. Sc.- (Botany - Chemistry - microbiology)	30	03
4	1812	SIF	UG	C327	B. Sc.- (Bioinformatics - Chemistry - Zoology)	50	03
5	1812	SIF	UG	C067	B. Sc.- (Biotechnology - Chemistry - Zoology)	40	03
6	1812	REG	UG	C085	B. Sc.- (Botany - Chemistry - Zoology)	360	03
7	1812	SIF	UG	C092	B. Sc.- (Botany - Pharmaceutical Chemistry - Zoology)	30	03
8	1812	SIF	UG	C118	B. Sc.- (Chemistry - microbiology - Zoology)	40	03
9	1812	SIF	UG	C183	B. Sc.- (Ph. Chemistry - Bioinformatics - Zoology)	20	03
10	1812	REG	UG	C116	B. Sc.- (Chemistry - Mathematics - Physics)	170	03
11	1812	SIF	UG	C127	B. Sc.- (Computer Application - Economics - Mathematics)	10	03
12	1812	SIF	UG	C129	B. Sc.- (Computer Application - Mathematics - Physics)	20	03
13	1812	SIF	UG	C130	B. Sc.- (Computer Application - Mathematics - Statistics)	10	03
14	1812	SIF	UG	C137	B. Sc.- (Computer Science - Mathematics - Physics)	210	03
15	1812	SIF	UG	C138	B. Sc.- (Computer Science - Mathematics - Statistics)	30	03

16	1812	REG	UG	C139	B. Sc.- (Economics - Mathematics - Statistics)	10	03
17	1812	SIF	UG	C140	B. Sc.- (Electronics - Computer Science - Mathematics)	10	03
18	1812	SIF	UG	C142	B. Sc.- (Electronics - Information Technology - Mathematics)	20	03
19	1812	SIF	UG	C144	B. Sc. (Electronics - Mathematics - Physics)	30	03
20	1812	SIF	UG	C156	B. Sc.- (Information Technology - Mathematics - Physics)	40	03
21	1812	REG	UG	C170	B. Sc.- (Mathematics - Electronics - Statistics)	20	03
22	1812	REG	UG	C172	B. Sc.- (Mathematics - Geology - Physics)	10	03
23	1812	SIF	UG	C176	B. Sc.- (Mathematics - Information Technology - Statistics)	20	03
24	1812	REG	UG	C187	B. Sc.- (Physics - Mathematics - Statistics)	10	03
25	1812	SIF	UG	C259	B. Sc.- (Computer Application - Geology - Mathematics)	10	03
26	1812	SIF	UG	C311	B. Sc.- (Economics - Geography - Geology)	10	03
27	1812	REG	UG	C313	B. Sc.- (Chemistry- Geology - Geography)	10	03
28	1812	REG	UG	D379	B. Sc.- (Geography -Physics-Geology)	25	03
29	1812	SIF	UG	C148	B. Sc.- (Geology - Economics - Mathematics)	25	03
30	1812	REG	UG	C312	B. Sc.- (Economics- Geography - Statistics)	25	03
31	1812	SIF	UG	C028	BA	20	03
32	1812	SIF	UG	C032	B.Com (Commerce)	10	03
33	1812	SIF	UG	C198	B.Com (Comm. With CA)	10	03
34	1812	SIF	PG	D649	M. Sc.- (Applied microbiology)	60	02
35	1812	REG	PG	C043	M. Sc.- (Botany)	90	02
36	1812	REG	PG	C044	M. Sc.- (Chemistry)	90	02
37	1812	SIF	PG	C050	M. Sc.- (Mathematics)	160	02
38	1812	SIF	PG	C053	M. Sc.- (Pharmaceutical Chemistry)	90	02
39	1812	REG	PG	C056	M. Sc.- (Zoology)	90	02
40	1812	SIF	PG	C054	M. Sc.- (Physics)	80	02

41	1812	SIF	PG	C046	M. Sc.- (Computer Science)	60	02
----	------	-----	----	------	----------------------------	----	----

प्रत्येक महाविद्यालय अपने अनुसार जानकारी दें

2 ग्रंथालय की सुविधा पुस्तकों/जर्नल्स (शोध पत्रिकाओं) समाचार पत्र पत्रिकाओं की जानकारी।

छात्राओं एवं शिक्षको उपयोगी पुस्तक/जर्नल एवं शोध पत्रिका उपलब्ध है

- | | |
|---|--------------|
| 3 ई-लाइब्रेरी | उपलब्ध है |
| 4 कम्प्यूटर लैब | 03 |
| 5 लैंग्वेज लैब | उपलब्ध है |
| 6 स्मार्ट-क्लास रूम/ प्रयोगशाला | उपलब्ध है 33 |
| 7 आभासीय कक्षाएँ(वर्चुअल क्लास रूम) | उपलब्ध है 01 |
| 8 सभागार | उपलब्ध है |
| 9 छात्रावास/कैंटीन | उपलब्ध |
| 10 वाई-फाई | उपलब्ध |
| 11 राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)/राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) 2MP | उपलब्ध है |
| 12 आवासीय सुविधायें(छात्राओं हेतु) | उपलब्ध |
| 13 क्रीडा सुविधायें | उपलब्ध है |
| 14 कैरियर गाइडेंस सैल/प्लेसमेंट सैल | उपलब्ध है |
| 15 रेड क्रॉस | उपलब्ध है |
| 16 एक्सटेंशन एक्टिविटी | उपलब्ध है |
| 17 विद्यार्थी सुविधा केन्द्र | उपलब्ध है |

18 अन्य सुविधायें

समस्त शासकीय योजनाओं के अनुसार

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ-

1. जन भागीदारी समिति से परामर्श/ संसाधन प्राप्त करना
2. जन सहयोग से संसाधनों का विकास
3. जन सहयोग से स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये स्ववित्त आधार पर नवीन पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
4. जन सहयोग से सामाजिक उन्नयन के पाठ्यक्रमों को संचालित करना।
5. जन सहयोग से संस्था के हितग्रहियों के लिये हितग्राही योजनाओं को संचालित करना तथा उत्कृष्ट अध्ययन अध्यापन एवं शारीरिक तथा मानसिक विकास को सुनिश्चित करना।

2.9 जनसहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था

1. राज्य शासन ने इस प्रकार का जनसहयोग लेने के लिये शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति की व्यवस्था लागू की है। यह समिति महाविद्यालय के लिये आवश्यक संसाधन जुटाती है। महाविद्यालय में नये अकादमिक कार्यक्रमों को अपना अनुमोदन देती है और महाविद्यालय के लिये विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

2.10 जनसेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था-

1. सुझाव/शिकायत

- प्राचार्य को सीधे आवेदन देकर
- शिकायत पेटी के माध्यम से
- प्रतिपुष्टि द्वारा

2. प्राचार्य छात्र संवाद/ संकाय सदस्य छात्र संवाद

3. विभागाध्यक्ष से सीधे संपर्क

4. महाविद्यालयीन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा

5. महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ द्वारा

6. अजा/अज.जा., शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा
7. शासन के निर्देशानुसार समस्या निवारण शिविरों का आयोजन
8. मूल्यांकन एवं प्रत्यायन समितियों द्वारा दिये गये सुझाव
9. अकादमिक समितियों द्वारा प्राप्त सुझाव
10. प्राचार्य द्वारा आमंत्रित विशिष्ट व्यक्तियों के सुझाव
- 2.11- मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते
- 2.11 में बनाये गये चार्ट में पते की भी प्रविष्टि डालना है।
- 2.12 कार्यालय के खुलने का समय- कार्यालय के खुलने का समय प्रातः 10.30 एवं बन्द होने का समय 5.30 अपरान्ह । अकादमिक कार्य का समय महाविद्यालय के स्थानीय व्यवस्थानुसार ।

अध्याय 3(मैनयुल-2)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य

महाविद्यालय के प्रशासन और अन्य समस्त कार्यों की धुरी प्राचार्य होता है, जो महाविद्यालय में पदस्थ शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक अधिकारियों-कर्मचारियों के माध्यम से महाविद्यालय को संचालित करता है।

महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों व कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

3.1 प्राचार्य-

1. प्राचार्य के द्वारा दो प्रकार के कार्य सम्पादित किये जाते हैं जिन्हें अकादमिक एवं प्रशासनिक में विभाजित किया जा सकता है। प्राचार्य का प्रमुख दायित्व महाविद्यालय के शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से महाविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन एवं कार्यालय संचालन हेतु समुचित वातावरण सुनिश्चित करना है।

2. प्राचार्य के प्रशासनिक दायित्वों में प्रमुख रूप से निम्न लिखित बिन्दु समाहित हैं-

- सम्पूर्ण स्टाफ पर नियन्त्रण
- कार्यालयीन स्टाफ के माध्यम से अभिलेखों का संधारण जिनमें विभिन्न नियम, अनुदेश, उच्चतर अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश इत्यादि शामिल हैं।

- वित्तीय नियन्त्रण हेतु रजिस्ट्रार/मुख्य लिपिक व लेखापाल के माध्यम से विभिन्न वित्तीय अभिलेखों का समुचित संधारण
- आहरण-वितरण अधिकारी के रूप में सर्व सम्बन्धित को निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार देयकों/स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित करना
- इसके अतिरिक्त समस्त स्टॉफ के मध्य उनके पद व योग्यता तथा अपेक्षा के अनुरूप कार्यों का विभाजन करना एवं समन्वय स्थापित करना।
- समस्त स्टॉफ अपने कार्यों का समुचित ढंग से संपादित कर सके इसके लिए पर्याप्त संसाधन व स्थानव आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना।

3.2 प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक /आदि के कार्य दायित्व और शक्तियाँ

- महाविद्यालय की समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित करना।
- विद्यार्थियों से जीवन्त संवाद कायम करते हुए उन्हें सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना।
- स्वयं भी निरंतर सीखने की प्रक्रिया में संलग्न रहना, और नित्य नवीन विधियों की खोज में प्रवृत्त रहना ताकि विद्यार्थियों को ज्ञान के अद्यतन क्षेत्र से अवगत कराया जा सके।
- विद्यार्थियों में ऐसे मूल्यों को समावेशित करने का प्रयास करना जिससे भविष्य में वे एक सुशिक्षित, संस्कारित और अपने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर नवीन और आधुनिक तकनीकों का उपयोग व्यापक सामाजिक हित में कर सके और इस तरह एक सभ्य समाज के उत्तम नागरिक के रूप में अपनी महत्ता स्थापित कर सके।
- प्राचार्य द्वारा सौंपे गये समस्त दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना।
- विभागाध्यक्ष के निर्देशन में अकादमिक कार्यों को संपादित करना।

3.3 ग्रन्थपाल के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित हैं-

- पुस्तकालय का रख-रखाव जिसमें एक्सेशन रजिस्टर निर्गत रजिस्टर के अतिरिक्त पुस्तकालय से सम्बन्धित वित्तीय दस्तावेजों का समुचित संधारण शामिल है।
- हितग्राहियों को समयानुसार पुस्तकें उपलब्ध कराना और उनकी वापसी सुनिश्चित करना
- विषय विशेषज्ञों से सम्पर्क कर स्तरीय सन्दर्भ ग्रन्थों और पठन सामग्रियों का चयन करना और प्रक्रियानुसार खरीददारी सुनिश्चित करना।
- ई-लाइब्रेरी को सुनिश्चित रख-रखाव और उससे सम्बन्धित वातावरण महाविद्यालय स्टॉफ के सहयोग से निर्मित करना।
- प्राचार्य द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करना।

क्रीडाधिकारी के कार्य और शक्तियाँ:-

- शासन द्वारा निर्धारित खेल कैलेंडर के अनुसार बहु-स्तरीय क्रीडा गतिविधियों को सम्पन्न कराना।
- महाविद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न खेल विधाओं में पारंगत करने हेतु निरन्तर अभ्यास कराना।
- स्तरीय खेल सामग्री नियमानुसार क्रय कराना और उसका समुचित संधारण करना।
- खेल विभाग से सम्बन्धित वित्तीय अभिलेखों आदि को नियमानुसार संधारण करना।
- प्राचार्य द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त दायित्वों का सम्पादन।

3.4 कार्यालयीन स्टॉफ के कार्य और शक्तियाँ:-

यद्यपि कार्यालयीन स्टॉफ का सम्पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण प्राचार्य के पास ही होता है तथापि रजिस्ट्रार/ मुख्य लिपिक कार्यालयीन स्टॉफ की धुरी होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं-

- प्राचार्य के निर्देशानुसार और अन्य सुसंगत शासकीय नियमों के अधीन विभिन्न अभिलेखों का संधारण जिनमें सम्मिलित हैं- कार्यालय में कार्यरत शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका, अवकाश लेखा, कैश बुक, आवक-जावक पंजी, व्यक्तिगत नस्ती, शासन से प्राप्त अनुदेश निर्देश आदि।
- समस्त कार्यालयीन स्टॉफ के बीच उनके पद और क्षमता के अनुरूप कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन से कार्य विभाजन तथा समन्वय स्थापित करना।
- समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर नियन्त्रण एवं कार्य विभाजन।
- प्राचार्य व समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य एक मुख्य कड़ी के रूप में भूमिका का सम्पादन।
- शासन द्वारा विद्यार्थियों के हित में बनाई योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी रखना।
- प्राचार्य के द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त दायित्वों का निर्वहन।

3.5 लेखापाल के मुख्य दायित्व वित्त के सम्बन्धित होते हैं जिनमें मुख्य हैं:-

- कैश बुक का संधारण और उसका समुचित रख-रखाव
- समयानुसार विभिन्न वित्तीय लेखों का अद्यतन करना एवं उनका लेखा परीक्षण करना।
- समस्त अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन और अन्य देयकों को तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करना, भुगतान उपरांत समग्र वित्त वाउचर को गार्ड फाईल में सुरक्षित रखना, मासिक आय-व्यय पत्र तैयार करना तथा वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करना डी.एफ.सी. में की गयी प्रविष्टियों और रसीद कट्टों का प्रतिपणों से मिलान आदि करना।
- शासन द्वारा विद्यार्थियों के हित में संचालित छात्रवृत्ति/आवास सहायता/ अन्य वित्तीय लाभ की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना एवं जानकारी संधारित करना।
- प्राचार्य, रजिस्ट्रार एवं मुख्य लिपिक द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्वों का निष्ठापूर्वक सम्पादन।

इसी प्रकार समस्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में सौंपे गये सम्बन्ध दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेंगे।

अध्याय-4

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

क्रं.	कार्यालयीन शाख का नाम	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका अभिलेख उपलब्धता
1.	विद्यार्थी शाखा	प्रवेश शुल्क विवरण पत्र	प्रवेशनियम तथा अनुदेश महाविद्यालय द्वारा जारी स्थापना संबंधी आदेश	कार्यालय एवं कम्प्यूटर विभाग वेबसाइट पर
2.	स्थापना एवं लेखा शाखा	अभिलेख	सेवा पुस्तिका भुगतान अवकाश लेखा संबंधी समास्त दस्तावेज	मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
3.	छात्रवृत्ति शाखा	अभिलेख	आवेदन नियम विनियम तथा अनुदेश	कार्यालय एवं कम्प्यूटर विभाग
4.	क्रय एवं भण्डारण	भण्डारक्रय	तुलनात्मक प्रपत्र	विभागार लेखापाल

	शाखा	नियम,स्टाक रजिस्टर, निविदायें नस्तियां,क्रय आदेश,बिल एवं बाउचर	, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन	स्टोर प्रभारी
5.	शैक्षणिकगतिविधियां अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियां	समय सारिणी उपस्थिति पंजी,अध्यापक डायरी, सूची, पत्राचार	शैक्षणिक एवं विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित दस्तावेज	संबंधित विभाग/प्रभारी प्राध्यापक

नोट:- 1. जानकारी प्राप्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन नियत शुल्क प्रदान करना होगा।

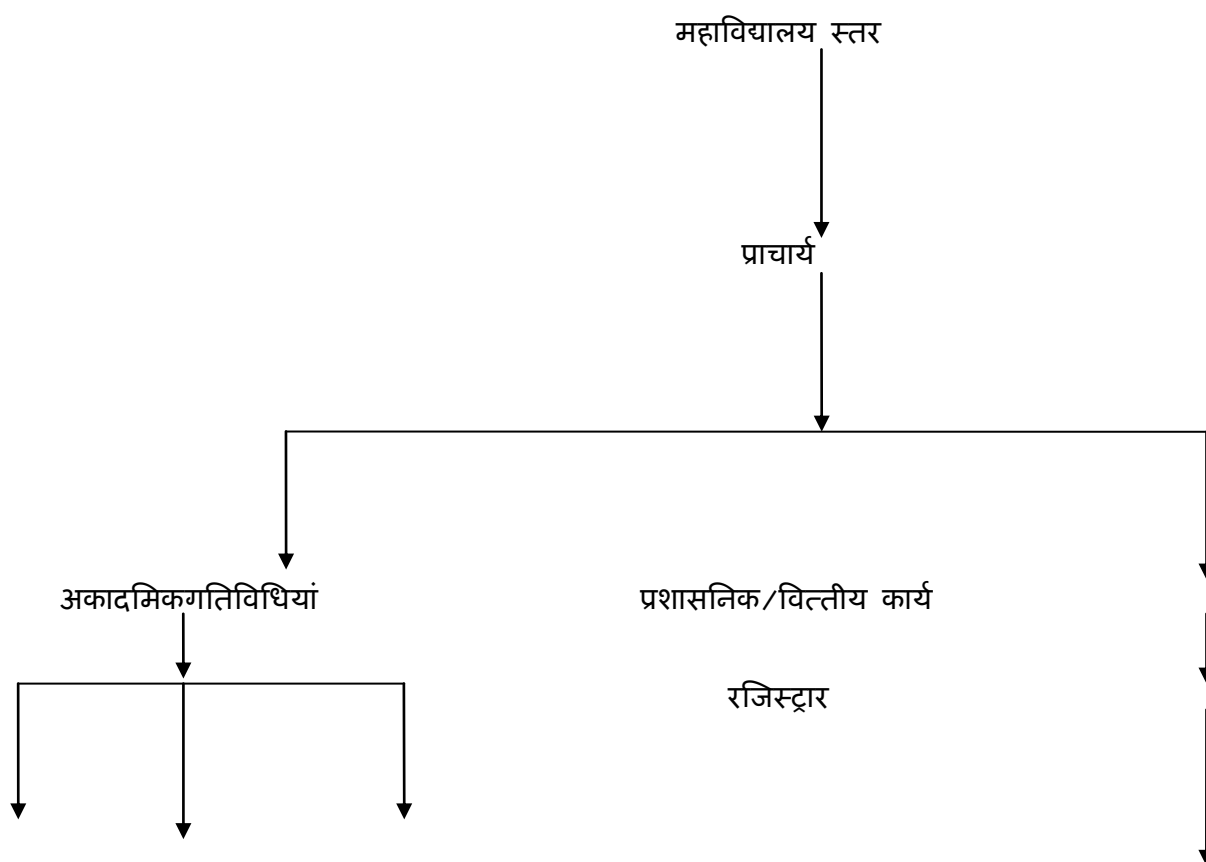
2. नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका आदि उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य अन्य व्यवस्था भी कर सकते हैं।

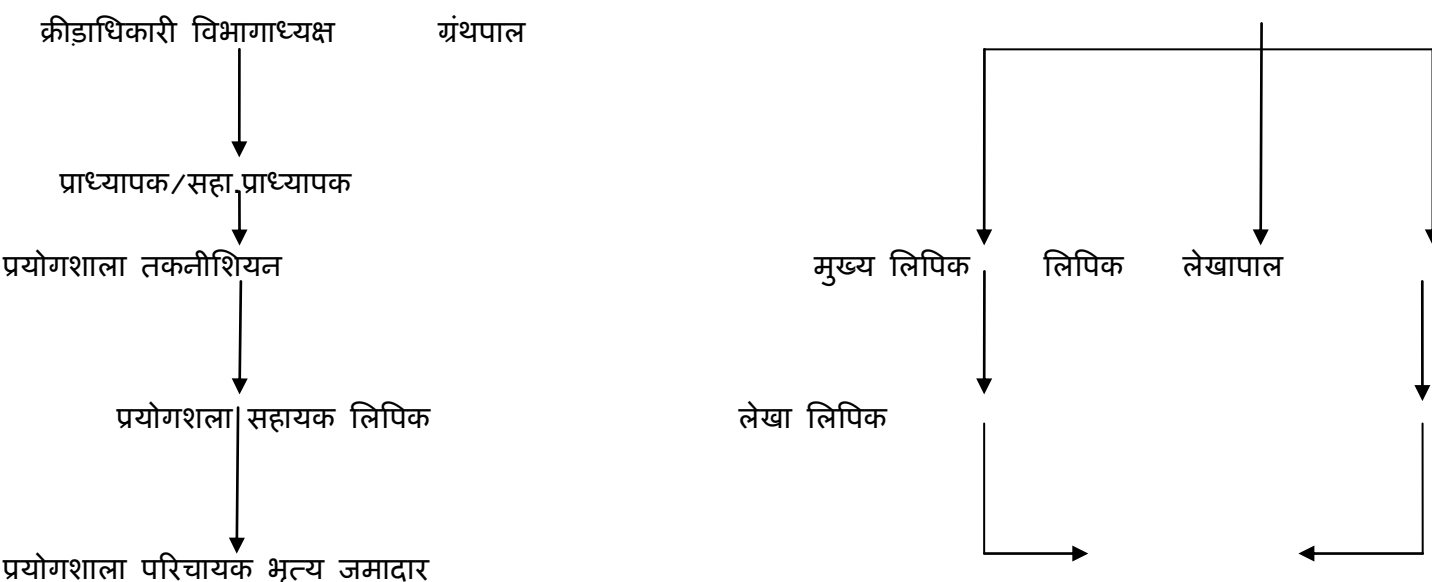
क्रं.	कार्यालयीन शाख का नाम	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं
6.	ग्रंथालय	पुस्तकें जर्नल्स अभिलेख आदि	स्टाक, एक्सेशन रजिस्टर, नस्तियां एवं निविदा,पुस्तक निर्गम पंजी	ग्रन्थपाल/ग्रंथालय सहायक
7.	क्रीडा विभाग	समस्त खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन,अभिलेख विभिन्न खेल विधाओं से संबंधित प्रपत्र,पात्रताके नियम	खेल के दल का गठन क्रीडा समिति की बैठक वृत्त क्रय का अभिलेख क्रीडा अभिलेख,खेलकूद हेतु चयनित दल एवं सदस्य सूची क्रय अनुमतियां	क्रीडा अधिकारी कार्यालय सहायक

8.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित	अभिलेख	विभिन्न योजनाओं के आबंटन, क्रय प्रक्रिया संबंधित अभिलेख	यू.जी.सी. प्रभारी
9.	शुल्क संग्रहण	भुगतान संबंधी बैंक का अभिलेख, खाता	रोकड़ पुस्तिका (कैशबुक) भुगतान संबंधी दस्तावेज, खाता संधारण	कैशियर लेखापाल
10.	जनभागीदारी	कार्य के विवरण का अभिलेख, बैठकों का रजिस्टर एवं कार्यवृत्त	समिति का निर्णय आदेश एवं कार्य विवरण, प्रस्ताव आदि	प्रभारी जनभागीदारी एवं मुख्य लिपिक तथा लेखापाल

नोट:- 1. जानकारी प्राप्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन नियत शुल्क प्रदान करना होगा।

2. नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका आदि उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य अन्य व्यवस्था कर सकते हैं





अध्याय - 5(मैनुअल-4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गयी व्यवस्था का विवरण :-

नीति निर्धारण हेतु -

5.1 क्या लोक प्रधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्रमांक	विषय/ कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता को भागीदारी अनिवार्य है- हां/ नहीं	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1.	जनभागीदारी समिति	हाँ	महाविद्यालय में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिये जनभागीदारीसमितियों का गठन किया गया है। राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालय के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से उन्हें म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम- 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है। जनभागीदारी गठन सम्बन्धी परिपत्रF-73-6-96-सी-3-36 दिनांक 30-सितंबर-96 में दी गई है, जो उच्च शिक्षा विभाग की

			वेबसाइट- www.hi.gher.education.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
--	--	--	---

5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु:-

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के क्रियान्वयन के संबंध जनता या जन प्रतिनिधियों से परामर्श/ भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियों को निम्नलिखित विषयों में प्रबंधन के एवं भागीदारी के अधिकार दिये गये हैं-

क्रमांक	विषय/ कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता को भागीदारी अनिवार्य है- हां/ नहीं	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1.	शिक्षण कार्य की गुणवत्ता एवं समीक्षा	हां हां	जन भागीदारी की विस्तृत रूपरेखा अधिसूचना क्रमांक- F-73-6-96-सी-36 दिनांक 30-सितंबर-96 के अनुसार, जो कि उच्च विभाग को वेबसाइट- www.hi.gher.education.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
2.	जनभागीदारी शुल्क वृद्धि/ पुनरीक्षित करने	हां	जनभागीदारी समिति स्तर पर

	एवं उससे प्राप्त राशि से विकास कार्य किया जाना।		
3.	स्ववित्तीय आधार पर व्यावसायिक एवं अन्य पाठ्यक्रम प्रारंभ करना	हां	केवल उन्ही मदों में जनभागीदारी अनिवार्य है जिनका संबंध समिति द्वारा संकलित राशि से किया गया हो।
4.	स्ववित्तीय आधार पर प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण व्यवस्था हेतु मानदेय के आधार पर शिक्षकों एवं स्टाफ की व्यवस्था तथा मानदेय निर्धारण	हां	जनभागीदारी समिति स्तर पर
5.	शासन द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन अनुसार जनभागीदारी समिति के खाते का संचालन सदस्य सचिव द्वारा किया जाता है।	हां	-
6.	जनभागीदारी समिति का बजट पारित करना	-	जनभागीदारी में वित्त समिति, प्रबंध समिति एवं सामान्य परिषद गठित होते हैं। इसकी बैठकों में बजट पारित किया जाता है।

अध्याय - 6(मैनुअल-5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी निम्नानुसार वर्णित है:-

क्र .	दस्तावेजों की श्रेणी	दस्तावेज का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	दस्तावेज को प्राप्त करने की विधि	नियंत्रण कर्ता
1.	शासकीय सेवक	राजपत्रित एवं अराजपत्रित तथा कार्यालयीन कर्मचारियों की सूची पता सहित सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ती	महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध	मुख्य लिपिक मुख्य लिपिक/रजिस्ट्रार

2.	विद्यार्थी संबंधी	प्रवेश नियम, फीस, प्रवेश सूची, विवरणिका वार्षिक समय सारणी परीक्षा परिणाम छात्रवृत्ति तथा योजनाओं के लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची	महाविद्यालय वेबसाइट एवं कार्यालय महाविद्यालय तथा उच्च शिक्षा की विभाग वेबसाइट पर परीक्षा प्रकोष्ठ को आवेदन देकर छात्र शाखा एवं महाविद्यालय की वेबसाइट	कार्यालय/ परीक्षा प्रकोष्ठ समय सारणी समिति एवं संबंधित विभागाध्यक्ष कार्यालय/ परीक्षा नियंत्रक छात्रवृत्ति शाखा प्रभारी
3.	आय/व्यय लेखा	यू.जी.सी. से प्राप्त अनुदान एवं उसका व्यय लेखा RUSA, विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान एवं उसका व्यय लेखा समिश्र निधि (AF) व्यय लेखा म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त मदवार बजट एवं उसका व्यय लेखा	प्राचार्य की अनुमति से प्राचार्य की अनुमति से प्राचार्य की अनुमति से महाविद्यालय की वेबसाइट	यू.जी.सी. प्रभारी तथा लेखा शाखा RUSA एवं विश्व बैंक प्रभारी लेखापाल लेखापाल
4.	राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं अधिमान्य परिषद् (NAAC) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ(I QAC)	एस.एस.आर, वार्षिक रिपोर्ट वर्षवार	उच्च शिक्षा विभाग तथा महाविद्यालय की वेबसाइट पर	NAAC प्रभारी

5.	जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति के सदस्यों की सूची जनभागीदारी योजना के अंतर्गत आय व्यय ब्यौरा	महाविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन देकर	जनभागीदारी प्रभारी प्राध्यापक लेखापाल एवं संबंधित प्रभारी प्राध्यापक
6.	राष्ट्रीय कैडेट कोर(NCC) राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) एवं खेलकूद (Sports)	NCCकैडेट की सूची, गणतंत्र दिवस परेड में गये विद्यार्थियों की सूची (दिल्ली/भोपाल) NSS स्वयं सेवकों की सूची इकाईवार राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय खेलों में विजेताओं की सूची	महाविद्यालय की वेबसाइट पर	NCC अधिकारी, NSS कार्यक्रम अधिकारी, क्रीडा अधिकारी/सहायक
7.	पाठ्यक्रम	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की सूची	विवरणिका तथा वेबसाइट	छात्र लिपिक
8.	प्लेसमेंट(रोजगार)	विभिन्न कम्पनियों में प्लेसमेंट होने वाले विद्यार्थियों की सूची	वेबसाइट तथा प्रभारी प्लेसमेंट सेल	करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ
9.	प्रकाशन	महाविद्यालय स्तर पर प्रकाशित जर्नल शोध पत्रिका	ग्रंथालय एवं महाविद्यालय की वेबसाइट	ग्रंथपाल

अध्याय-07 मैनुअल-6

बोर्ड ,परिषदों, समितिओं एवं अन्य निकायों का विवरण

महाविद्यालय का नाम शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन

जिला-- उज्जैन-संभाग-- उज्जैनसत्र--2019-20

महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नलिखित बोर्ड, परिषद समितियां एवं अन्य निकायों का गठन किया गया है-

सं.क्र	बोर्ड/परिषद/समिति अन्य निकाय का नाम	अध्यक्ष/ संयोजक सदस्य	संक्षिप्त कार्य विवरण
--------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

1.	स्टॉफ कौंसिल (प्राध्यापक परिषद)	प्राचार्य एवं समस्त शैक्षणिक स्टॉफ	समय-समय पर बैठके आयोजित करना एवं अभिलेख संधारण करना
2.	अनुशासन समिति एवं एण्टी रैगिंग समिति	महाविद्यालयीन पदेन प्राचार्य अध्यक्ष कलेक्टर , सदस्य अनुविभागी अधिकारी, सदस्य	महाविद्यालय अनुशासन बनाना रैगिंग रोकथाम
3.	सेमेस्टर प्रकोष्ठ	डॉ. पिकी द्विवेदी संयोजक	सेमेस्टर परीक्षा का संचालन
4.	विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ(प्लेसमेन्ट) सैल	डॉ. हितेश वाणी संयोजक	विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं कौशल उन्नयन के लिए समय-समय पर शिविर एवं व्याख्यानो का आयोजन
5.	व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ	डॉ. हितेश वाणी संयोजक	विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु व्याख्यान एवं गतिविधियों का आयोजन
6.	क्रय समिति	डॉ.अनिल पांडे संयोजक	समिति की बैठकों का अभिलेख संधारण भंडारक्रयनियमों के अंतर्गत सामग्रियों के क्रय की अनुशंसा करना
7.	अपलेखन समिति	डॉ. आर. के. तिवारी संयोजक	प्राचार्य के वित्तीय अधिकार के अधीन अपलेखन कार्य का संपादन करना एवंअभिलेख संधारण ।
8.	अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निर्धन विद्यार्थी प्रकोष्ठ	डॉ. प्रमोद मालवीय संयोजक	संबंधित वर्गों के कार्यों का निष्पादन करना
9.	जन भागीदारी समिति	डॉ. कल्पना सिंह संयोजक	शासकीय नियमानुसार
10.	शिक्षक अभिभावक समिति	डॉ. एस. सी. पाटीदार	शासकीय नियमानुसार
11.	क्रीडा समिति	डॉ. संजीत राय संयोजक	शासकीय नियमानुसार

12.	विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति	डॉ. आर. के. तिवारी संयोजक	शासकीय नियमानुसार
13.	छात्रवृत्ति समिति	डॉ. प्रमोद मालवीय संयोजक	शासकीय नियमानुसार
14.	महाविद्यालयीन निर्माण एवं विकास समिति	डॉ. एच. एस. द्विवेदी संयोजक	शासकीय नियमानुसार
15.	महिला यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति, महिला सशक्तिकरण एवं छात्रा शिकायत निवारण समिति	डॉ. षेहला इसहाक संयोजक	शासकीय नियमानुसार
16.	आंतरिक परिवाद समिति	डॉ. मनमीत कौर मक्कड़ संयोजक	शासकीय नियमानुसार
17.	ग्रंथालय समिति	डॉ. रोहिताष्व षर्मा संयोजक	शासकीय नियमानुसार
18.	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)	डॉ. कल्पना सिंह संयोजक	शासकीय नियमानुसार
19.	राष्ट्रीय अधिमान्यता एवं प्रत्यायन (NAAC) समिति	डॉ. कल्पना सिंह संयोजक	शासकीय नियमानुसार
20.	यू.जी.सी. प्रकोष्ठ	डॉ. पिकी द्विवेदी संयोजक	शासकीय नियमानुसार
21.	सम्मिलित निधि समिति	डॉ. आय.के.मंगल संयोजक	शासकीय नियमानुसार
22.	आंतरिक लेखा परीक्षण समिति	डॉ. आर. एस. राठौर संयोजक	शासकीय नियमानुसार
23.	सूचना का अधिकार समिति	डॉ.एस.सी. पाटीदार संयोजक	शासकीय नियमानुसार
24.	रूसा/ विश्व बैंक क्रियान्वयन समिति	डॉ. कल्पना सिंह संयोजक	शासकीय नियमानुसार
25.	पूर्व छात्र एवं संगठन (एल्यूमिनी) समिति	डॉ. रेखा खन्ना संयोजक	शासकीय नियमानुसार
26.	छात्र कल्याण समिति	डॉ. अजय कुमार सक्सेना संयोजक	शासकीय नियमानुसार

अध्याय-8 (मैनुअल-7)

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम एवं (अन्य विशिष्टताएं)

1. लोक सूचना अधिकारी का नाम- **MkW- oh- ds- xqlrk**

पदनाम- प्राचार्य

कार्यालय का पता- शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास रोड, उज्जैन

2. सहायक लोकसूचना अधिकारी का नाम- **MkW- lrh'kpanz ikVhnkj**

पदनाम- प्राध्यापक

कार्यालय का पता- शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास रोड, उज्जैन

जिला-उज्जैन

दूरभाष न.- **0734-2511803**

ई-मेल- **prinmvm@yahoo.co.in**

3. (अ) प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम- **MkW- Jherh oanuk xqlrk**

पदनाम -प्राचार्य

कार्यालय का पता- षा. कालीदास कन्या अग्रणी महाविद्यालय उज्जैन

दूरभाष नं.- 0734-2550877

ई-मेल-kalidagirlscollege@yahoo.com

3.(ब) अग्रणी महाविद्यालय के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्तकार्यालय का

पता- अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, उज्जैन संभाग, देवास रोड़, उज्जैन

जिला-उज्जैनदूरभाष नं.- 0734-2510267

ई-मेल- adheujain2018@gmail.com

अध्याय- 9 (मेनुअल- 8) लेने की प्रक्रिया

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों पर पृथक-पृथक निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्धारित है:- जो निम्नानुसार है-

अकादमिक मुद्दों पर निर्णय :-

- 1) नये अकादमिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय
- 2) पाठ्यक्रम की संरचना
- 3) परीक्षकों के पैनल तैयार करना
- 4) आंतरिक मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण

उक्त सभी निर्णय अकादमिक प्रवृत्ति के हैं और निर्णय लेने के अधिकार अध्ययन मण्डल, अकादमिक परिषद और कार्यकारी समिति जनभागीदारी को है।

प्रशासकीय निर्णय :-

जनभागीदारी समिति से संबंधित निर्णय प्रशासकीय जनभागीदारी समिति की सामान्य सभा और स्वशासी तंत्र से संबंधित प्रशासकीय निर्णय कार्यकारी बैठक में लिये जाते हैं। ऐसे निर्णय लेने के लिये यह समितियाँ वैधानिक रूप को अधिकृत हैं।

अन्य प्रशासनिक निर्णय -:

शासकीय महाविद्यालय होने के कारण ऐसे सभी प्रशासकीय निर्णय शासन द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के तहत प्राचार्य और उनके कार्यालय द्वारा लिये जाते हैं।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रक्रिया उल्लेख रहे-

1) प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश पर निर्णय लेने का अधिकार।

प्रवेश प्रक्रिया निम्न चरणों में सम्पन्न होती है -

- राज्य शासन के स्तर पर प्रवेश नियमों का निर्माण एवं निर्देश जारी करना।
- उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से व नियम, विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना ।
- महाविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा विभाग से जारी प्रवेश की सूचना का प्रकाशन कक्षावार प्रवेश समिति का गठन करना ।
- आवेदकों को गुणानुक्रम, आरक्षण और अधिभार का लाभ देते हुए प्रवेश सूची का ऑनलाइन यथासमय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशन ।
- प्रवेश योग्य आवेदकों से दस्तावेजों का सत्यापन तथा शुल्क प्राप्त कर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करना ।

1) छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया एवं निर्णय लेने के अधिकार -

छात्रसंघ चुनाव उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के आधार पर सम्पन्न होता है। इसके लिये प्राचार्य मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति व अन्य सहयोगी अधिकारियों के दल का गठन करता है। चुनाव संबंधित समस्त निर्णय अध्यादेश के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप लिये जाते हैं।

2) परीक्षा संचालन प्रक्रिया निर्णय लेने के अधिकार-

महाविद्यालय में परीक्षा संचालन और प्राचार्य द्वारा मनोनीत अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा अधिनियम के तहत होता है।

3) वार्षिकोत्सव- निर्णय लेने के अधिकार-

महाविद्यालय वार्षिकोत्सव गतिविधियों का संचालन छात्र परिषद परामर्शदाता द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिम्मलित निधि समिति द्वारा उपलब्ध बजट के आधार पर उपरोक्त गतिविधियों का संचालन किया जाता है। समिति में शिक्षक और छात्र दोनों ही सदस्य के रूप में मनोनीत होते हैं।

शासन, यू.जी.सी. जनभागीदारी एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान को व्यय करने की प्रक्रिया एवं निर्णय लेने के अधिकार-

शासन द्वारा प्राप्त अनुदान का व्यय शासकीय नियमों के तहत उन्हीं मदों में किया जाता है जिसके लिए प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान निर्धारितनिर्देशों के अनुरूप निर्धारित मद में व्यय किया जाता है। जनभागीदारी समिति से प्राप्त राशि का व्यय जनभागीदारी समिति की वित्त समिति, प्रबंध समिति और सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित मदों में किया जाता है।

9.2- किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तर पर विचार किया जाता है?

- विभिन्न वैधानिक समितियों के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं।
- विशेष परिस्थितियों में स्टाफ काउन्सिल की बैठक में निर्णय लिया जाता है।

9.3- निर्णयों को जनता तक पहुँचाने के लिये क्या व्यवस्था है?

1. महाविद्यालय की वार्षिक विवरणिका के माध्यम से
2. महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से
3. महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के माध्यम से
4. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के माध्यम से
5. शासकीयमीडिया के माध्यम से

9.4- विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है?

क्र.	विषय-प्रक्रिया जिनमें उच्च अधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता होती है	उच्च अधिकारी का पद नाम
1	जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष का मनोनयन	उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल
2	प्राचार्य को प्रदत्त परिसीमा से अधिक के क्रय करने की अनुमति	अतिरिक्त संचालक/ आयुक्त/सचिव/प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा
3	नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति	आयुक्त/कुलपति विश्वविद्यालय
4	राज्य से बाहर शैक्षिक भ्रमण ले जाने की अनुमति	आयुक्त, उच्च शिक्षा
5	टीचर फ़ेलोशिप पर की गयी वैकल्पिक नियुक्ति	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा
6.	प्राचार्य को प्रदत्त परिसीमा से अधिक अवकाश की स्वीकृति	उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन

9.5- अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी-

महाविद्यालय स्तर पर सभी विषयों में अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.6- मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है .

1. प्रवेश सम्बंधी कार्य- शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है ।
2. छात्र संघ निर्वाचन -शासन द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। परीक्षाओं का संचालन-विश्वविद्यालय परीक्षा अधिनियम के तहत संचालित करायी जाती है।

अध्याय – 10

अधिकारियों और कर्मचारियों को आवंटित शाखायें तथा सम्पर्क :-

महाविद्यालय में शैक्षणिक एवेप्रशासनिक तथा अन्य गतिविधियों को सूचारु संचालित करने हेतु प्राचार्य द्वारा विभिन्न गतिविधि समितियों का गठन कर कार्य आवंटित किये जाते हैं।

गतिविधियों के संयोजक एवं सदस्यों के नाम तथा सम्पर्क एवं अन्य जानकारी महाविद्यालय में सूचना पटल पर प्रदर्शित है।

अध्याय-11

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति :-

क्रं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	वेतन निर्धारण की पद्धति
	डॉ. वी. के. गुप्ता	प्राचार्य	लागू वेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित

	डॉ. अजय चतुर्वेदी, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. श्रीमतीकल्पना सिंह, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. बृजेश पारे, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.श्रीमती मनमीत कौर मक्कड,प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. श्रीमती शकुंतलापाण्डेय, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
				शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.दिपेन्द्रसिंहरघुवंशी, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.श्रीमतीरेखा नागवंशी	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.जीवनसिंहसोलंकी	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. स्वाती पराषर	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. हितेश कुमार वाणी	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. अजय सक्सेना	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. दिलीप सोनी	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. प्रमोदमालवीय	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. आयुषी पालिवाल	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. ध्वेता जैन	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित

				शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.एच.एस.द्विवेदी, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	श्रीमतीपिंकीद्विवेदी	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. रष्मि ऋषिष्वर	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
				शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. इन्दरसिंहपरमार	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.राजकुमारनीमा	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.श्रीमती शशिजोशी	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. रोहिताश्व शर्मा	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. श्रीमती शेहलाइसहाक, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. अनिलपाण्डेय, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. श्रीमतीरेखा खन्ना, प्रा..	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. सीमा त्रिवेदी	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.श्रीमती शोभा शौचे	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.श्रीमती शुभांगीवैद्य	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.शैलजाआचार्य	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. अयाजअहमदसिद्धिकी	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.डी.पी.चतुर्वेदी, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित

	डॉ. प्रमिला	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	श्रीमतीपी.जाटवा	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
				शासन द्वारा निर्धारित
				शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.आर.के.तिवारी, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. सतीशचन्द्रपाटीदार, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.श्रीमतीमृदुलाजैन	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.आर.एस.राठौर	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. दिनेश कुमार वर्मा	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. स्नेहा पोरवाल	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.आय.के.मंगल, प्रा.	प्राध्यापक	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.प्रदीपलाखरे	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.श्रीमतीमणीकांत	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	श्रीआर.सी.हेमनानी	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ.आर.एल.भांभरा	सहा. प्रा.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	श्रीसंजीतराय	क्रीडा अधिकारी	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	डॉ. दीपक मीणा	पुस्तकालयाध्यक्ष	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	श्री धर्मेन्द्र त्रिपाठी	सहा.ग्रेड-2	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
	श्रीकिशोरकुमारमोदी	सहा.ग्रेड-3	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित

श्रीसंदीपआठले	सहा.ग्रेड-3	लागू वेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीमतीकल्पनातिवारी	सहा.ग्रेड-3	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीआदित्य प्रतापचंद	सहा.ग्रेड-3	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्री प्यामसुन्दरपुष्पद	सहा.ग्रेड-3	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्री मुकेश मित्तल	प्रयो. तक.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीअर्जुनसिंहभदौरिया	प्रयो. तक.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्री शैलेन्द्रसिंहपरमार	प्रयो. तक./मु.लि.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीविरेन्द्रकुमारसोनपर त	प्रयो. तक.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीमती संध्याउज्जैनिया	प्रयो. तक.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीइसरार खान	प्रयो. तक.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीचैतन्य गोयल	प्रयो. तक.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीचन्द्रविजय शर्मा	प्रयो. तक.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीगुलाबचंदलोदवाल	प्रयो. तक.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
सुश्रीआशामीना	प्रयो. तक.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीनेमीचंदगुप्ता	प्रयो. परि.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीजगदीश	प्रयो. परि.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीदेवराजनामदेव	प्रयो. परि.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीआशीषराठौर	प्रयो. परि.	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीश्यामलाल	भृत्य	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित

श्रीराजवीरसिंहभदौरि या	भृत्य	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीराजेन्द्रवर्मा	भृत्य	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीकमल	भृत्य	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीमतीकांता	भृत्य	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीदयारामनरवारे	स्वीपर	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीओमप्रकाशवर्मा	स्थायीकर्मि	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीशिवप्रसादसेन	स्थायीकर्मि	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीसलामतहुसैन	स्थायीकर्मि	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीरमेशचन्द्रनामदेव	स्थायीकर्मि	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीललितकुमारमालवी य	स्थायीकर्मि	लागूवेतनमान	शासन द्वारा निर्धारित
सुश्री अनिता सोनगरा, वनस्पतिशास्त्र	शा. अतिथि विद्वान	शा. द्वारा निर्धारित दर	शासन द्वारा निर्धारित
डॉ. किर्ती सोनटक्के, भौतिक शास्त्र	शा. अतिथि विद्वान	शा. द्वारा निर्धारित दर	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीमती नेहा तिवारी, भौतिक शास्त्र	शा. अतिथि विद्वान	शा. द्वारा निर्धारित दर	शासन द्वारा निर्धारित
डॉ. रत्नेष, भौतिक शास्त्र	शा. अतिथि विद्वान	शा. द्वारा निर्धारित दर	शासन द्वारा निर्धारित
श्रीमहेन्द्र सिंह, भौमिकी	शा. अतिथि विद्वान	शा. द्वारा निर्धारित दर	शासन द्वारा निर्धारित
डॉ. तोशी बाडिया, वनस्पति शास्त्र	शा. अतिथि विद्वान	शा. द्वारा निर्धारित दर	शासन द्वारा निर्धारित
डॉ. ललित कुमार चौरसीया, वनस्पति	शा. अतिथि विद्वान	शा. द्वारा निर्धारित	शासन द्वारा निर्धारित

शास्त्र		दर	
डॉ. मीना सोनी, रसायन शास्त्र	शा. अतिथि विद्वान	शा. द्वारा निर्धारित दर	शासन द्वारा निर्धारित
डॉ. सुभांशु शर्माबीसीए	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
श्रीजयंतमिश्राबीसीए	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
सुश्रीशिखा शिवालिया, कंप्यूटरसाईंस	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
श्रीमती अंशुजोशीकंप्यूटरसाईंस	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
श्रीमती अंतिमासिन्दरसिया, गणित	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
श्रीमती आसमाअहमद, आई. टी.	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
डॉ. आषीबगुप्ता, मार्इक्रे.	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
डॉ. हर्षद षर्मा, मार्इक्रे.	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
श्रीजितेन्द्रहिनोरे, मार्इक्रे.	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
सुश्रीश्रुति शर्मा, फार्मारसायन	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
सुश्रीसुरभी शुक्ला, फार्मारसायन	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
सुश्रीनेहाजायसवाल, फार्मारसायन	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
श्रीमती कोमलचेलारमानी, फार्मारसायन	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
श्रीमती प्रियंकासूर्यवंशी	अतिथिविद्वानजनभागीदारी	जनभागीदारी समिति	जनभागदारी समिति बैठक में

[illegible]

	श्रीभारत सिंह ठाकुर	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्री प्यामराठौर	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्रीआकाशलशकरी	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्रीसोमेशललावत	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्रीसतीशचौहान	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्रीस्वदेशिशुलकर	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्रीअनिलव्यास	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्रीअनिलपंवार	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्रीविजय मालवीय	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्रीविक्रान्त खत्री	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।
	श्रीआशुतोष यादव	प्रयो. परि. जनभागीदारी	जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित	जनभागदारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाता है।

अध्याय – 12

प्रत्येक अभिकरणको आवंटित बजट

क्रं.	हेड / शीर्ष	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	जारी राषि	कुल खर्च
	षासकीय				
	यू.जी.सी.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	रुसा		50,00,000/-	50,00,000/-	18,41,350/-
		Renovation	2,00,000/-	2,00,000/-	निरंक
		Academic	3,00,000/-	निरंक	निरंक
		Excellence			
		Accounting	30,000/-	निरंक	निरंक
	वर्ल्ड बैंक	Civil work	5,17,00,000/-	निरंक	निरंक
		Revovation	1,91,00,000/-	निरंक	निरंक
		Barrier free campus	45,00,000/-	निरंक	निरंक
		Total	7,52,90,000/-	निरंक	निरंक

	जनभागीदार ी		निरंक	निरंक	निरंक
--	----------------	--	-------	-------	-------

अध्याय – 13

अनुदान/राज्य सहायताकार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

1. कार्यक्रम/योजना का नाम अनुदान : विष्वविद्यालय अनुदानआयोग से प्राप्त
2. कार्यक्रम/योजना के प्रभावीरहने की समय सीमा : पंचवर्षीय/एकलवित्तीय वर्ष
3. कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तकालय : महाविद्यालय की अधोसंचरचनाविकास, प्रयो. उन्नयन
4. कार्यक्रम की भौतिक एवंवित्तीय लक्ष्य : राज्य षासन की अपेक्षानुसार
5. लाभार्थी की पात्रता : महाविद्यालय को यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2एफ एवं 12बी के अंतर्गतमान्यताप्राप्तहोनाचाहिए
6. पूर्वापेक्षाएं : उच्चषिक्षा मेंगुणवत्ता एवंनवाचार
7. अनुदान/सहायताप्राप्तकरने की प्रक्रिया : यू.जी.सी. निर्देशानुसार
8. पात्रता/सहायताप्राप्तकरने के लियेमानदण्ड : यू.जी.सी. निर्देशानुसार
9. दियेजानेवालेअनुदान/सहायता का वर्णन:
10. आवेदनकरने के लियेकहां/किससेसंपर्ककरें : क्षेत्रिय एवंकेन्द्रीय कार्यालय, यू.जी.सी

अध्याय 13 कर्मष:

1. राष्ट्रीय उच्चतरषिक्षा अभियान रुसा द्वाराप्राप्तअनुदानपरियोजनासंचालक
2. स्टेटप्रोजेक्टडायरेक्टोरेट, रुसा, उच्चषिक्षा, भोपाल द्वारा समय समय परप्रदत्तनिर्देशानुसार

3. महाविद्यालय की अधोसंरचनाविकास, प्रयोगशालाउन्नयन, पुस्तकालय संबर्धन एवंउपकरणक्रय हेतु।
4. राज्य षासन से अपेक्षानुसार
5. महाविद्यालय की पात्रता, परियोजनासंचालक, स्टेटप्रोजेक्टडायरेक्टोरेट, रुसा, उच्चषिक्षा भोपाल द्वारा निर्धारित
6. उच्चषिक्षा मेंगुणवत्ता एवंनवाचार
7. रुसा कार्यालय द्वाराआमंत्रित प्रस्ताव के आध्धरपर
8. रुसा कार्यालय द्वारा निर्धारित
9. परियोजनासंचालक, स्टेटप्रोजेक्टडायरोक्टेड, रुसा, उच्चषिक्षा विभाग

अध्याय – 13 कर्मष :

1. विष्वबैंक द्वाराप्राप्तअनुदान
- योजना या क्रियान्वयनप्रक्रियाधीन

अध्याय – 13 कर्मष:

1. राज्य षासन द्वाराप्राप्तअनुदान
2. राज्य षासन के निर्देशानुसार
3. महाविद्यालय की अधोसंरचनाविकास, प्रयोगाशालाउन्नयन, पुस्तकालय, संगर्धन एवंउपकरणक्रय हेतु
4. राज्य षासन की अपेक्षानुसार
5. राज्य षासन द्वारा निर्धारित
6. उच्चषिक्षा मेंगुणवत्ता एवंनवाचार
7. राज्य षासन द्वाराआमंत्रित प्रस्ताव के आध्धरपर

8. राज्य षासन द्वारा निर्धारित
9. आयुक्त, उच्चषिक्षा, म. प्र. षासन

अध्याय 13 कृमषः

अनुसूचितजाति / जनजाति / पिछडावर्गछात्रवृत्तिहेतुसंषोधितआय सीमा

अ. पालक की वार्षिकआय 250000 /— तकहोनेपरपूर्णछात्रवृत्तितथापूर्ण षुल्कमुक्ति की पात्रताहोगी ।

ब. पालक की वार्षिकआय 250000 /— से 300000 /— तकहोनेपरकेवलपूर्णषुल्कमुक्ति की पात्रताहोगीछात्रवृत्ति नही मिलेगी ।

स. पालक की वार्षिकआय 300000 /— से अधिकहोनेपरकेवलआधी षुल्कमुक्ति की पात्रताहोगी ।

छात्रवृत्तिआवेदन के साथछात्रो द्वारासंलग्नकियेजानेवालेप्रपत्रों की सूची :-

1. मूलनिवासीप्रमाणपत्र की सत्यापितछायाप्रति ।
2. आय प्रमाणपत्र की मूलप्रति ।
3. स्थायीजातिप्रमाणपत्र की सत्यापितछायाप्रति ।
4. छात्र का संस्थाप्रमुख द्वारासत्यापितछायाप्रति ।
5. काउंसलिगरसीद की सत्यापितछायाप्रति ।
6. हायरसेकण्डरी से अध्ययनरत कक्षा पाठ्यक्रमतक की सभीपरीक्षाओं की अंकसूचियो की सत्यापितछायाप्रति ।
7. अंतरालहोन की स्थितिमेंअंतरालप्रमाणपत्र ।
8. आधारकार्ड ।
9. के.वाई.सी. प्रोफाईलपंजीयन ।

10. आधारकार्ड से बैंक खातालिंक ।

दिनांक

छात्र के हस्ताक्षर

छात्र का नाम

पाठ्यक्रम का नाम

अध्याय 13 कृषि:

अध्याय 13 मैनुअलअनुदान/राज्य सहायताकार्यक्रमों की रीति

Serial Number/Code	Beneficiary Name	Amount of Subsidy	Parent/Gur- dins	Criteria of Selections	Addre- ss
-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	--------------

गांव की बेटी	छात्रायें (12 वींमेंप्रथम श्रेणी एवंग्रामीणछात्रायें)	5000 /—		12 वीं 60 प्रतिषतअंक एवंग्रामीण क्षेत्र से	
प्रतिभाकिरण	छात्रायें (12 वींमेंप्रथम श्रेणी एवं षहरी क्षेत्र)	5000 /—		12 वी 60 प्रतिषतअंक एवं षहरी क्षेत्र से	
आवाससहायता योजना	छात्र एवंछात्रायें	1250 /—प्रति माह 10 माहहेतु		नगरनिगमसीमा के बाहर के छात्र/छात्रायें आय सीमा 3 लाख	
पोस्टमैट्रिकछात्रवृत्ति	एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. छात्र/छात्रायें	म. प्र. षासन के निर्देषानुसार			
स्टेषनरी हेतु अनुदान	छात्र एवंछात्रायें एस.सी./एस.टी.	500 /—प्रति		केवल एस.सी., एस.टी. छात्र छात्रायें	
पुस्तकेहेतुअनुदान	छात्र एवंछात्रायें एस.सी./एस.टी.	1500 /—प्रति		केवल एस.सी., एस.टी. छात्र छात्रायें	

अध्याय 14

अध्याय – 14 रियायतों, अनुलाभों तथा प्राधिकारियों के प्राप्त कर्ताओं के संबंध में विवरण

14.1 यदि कोई छूट, रियायत आदि की योजना हो तो उसका उल्लेख करें

कार्यक्रम का नाम –

1. प्रवेश शुल्क रियायत

- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विद्यार्थी
- मेधावी श्रेणी के विद्यार्थी को मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना के तहत प्रवेश शुल्क पूर्णतः मुक्त
- अकुशल श्रमिक कार्ड धारक पालकों के पुत्र/पुत्रियों को मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, के अन्तर्गत प्रवेश शुल्क पूर्णतः मुक्त निशुल्क स्टेशनरी एवं पुस्तकें
- समस्त श्रेणी के विद्यार्थियों को मूल निवास स्थान से महाविद्यालय आने जाने तक रेलवे मासिक शुल्क रियायत
- अनुसूचित जाति/जन जाति के विद्यार्थियों को मकान किरायामत्ता

उद्देश्य एवं लक्ष्य

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को भी शुल्क मुक्त कर उच्च शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराकर राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान सुनिश्चित करना।

पात्रता –

- संबंधित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए जाति, मूलनिवास, आय संबंधी राज्य सरकार के नियमानुसार जारी पात्रता
- मेधावी श्रेणी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी पात्रता के अनुसार अर्हकारी परीक्षा में 70%अंको के साथ उत्तीर्ण होना ।
- पालक के अकुशल श्रेणी के श्रमिक होने का राज्य सरकार द्वारा जारी पंजीयन कार्ड

- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी का महाविद्यालय में नियमित प्रवेश एवं जाति प्रमाण पत्र
- महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी होना एवं निवास प्रमाण पत्र
- महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होने तथा निवास करने का प्रमाण

पात्रता का आधार –

- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आदिम जाति विभाग एवं उच्च शिक्षा म.प्र. शासन द्वारा जारी योजना
- मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना
- म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की योजना
- भारतीय रेलवे की योजना
- म.प्र. राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग की योजना

प्राप्त करने की योजना –

शासन द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाण- पत्र संलग्न कर आवेदन करना।

समय सीमा –

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित घोषित सीमावधि

प्रारूप -

राज्य शासन द्वारा जारी प्रवेश नियम, छात्रवृत्ति नियम तथा एवं अन्य नियम रियायतों हेतु जारी प्रारूप

संलग्नकों की सूची -

- i. आय, जाति, मूल निवास एवं प्रमाण पत्र
- ii. मेधावी विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण होने की अंक सूची
- iii. संबंधित श्रेणी के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य दस्तावेज

अध्याय 15

कॉलेज चलो अभियान अनुदान के लिए रूसा और वेबसाइट का ही सहारा है। INDIAGER 20.9 जबकि प्रदेश का 20% है। 2020 तक GER 30% तक ले जाने का लक्ष्य है। बच्चों व परिजनों को योजनाओं की जानकारी।

1. प्रवेश नियम:- किसी भी महाविद्यालय में सत्र का प्रारंभ छात्रों के प्रवेश से होता है। ये प्रवेश नियम म.प्र. उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी होते हैं। उनकी प्रति प्रवेश समिति को प्रदान की जाती है जिसका पालन कर नये विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

2. छात्र संघ चुनाव:- म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी Ordinance के अनुसार

3. युवा उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम:- म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी दिए गए कैलेंडर अनुसार

4. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/जिलास्तर/ संभाग स्तर/अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर खेलकूद प्रतियोगिताएं:- म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर अनुसार तथा विश्वविद्यालय परिसंघ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार

5. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां:- राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमानुसार

6. निजी महाविद्यालय की संबधता की जांच एवं सुंस्तुतियां:- म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जांच एवं संस्तुतियां।

7. CM Helpline:- महाविद्यालय को प्रदत्त लेवल अनुसार निष्पादन

8. जन सुनवाई:- शासन द्वारा निर्धारित समय/तिथि के अनुरूप

9. सूचना का अधिकार:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार

10. शोध कार्य:- विश्वविद्यालय के शोध Ordinance के अनुसार

11. UGC :- यू.जी.सी. द्वारा समय पर जारी नियमों एवं निर्देशानुसार

12. RUSA :- परियोजना संचालक, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट रूसा उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार

13. IQAC:- म.प्र. शासन द्वारा प्रदाय नियमानुसार

अध्याय 15 क्रमशः

14. NAAC:-NAAC द्वारा प्रदाय दिशानिर्देश (Guidelines)के अनुसार

15. चुनाव कर्तव्य: केन्द्र एवं राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार

16. NCC/Army wing/Air wing/Naval wing :- NCC Act - 1950 के अनुसार

18. विभागीय जांच एवं अन्य जांचे:- म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार

19. मध्य प्रदेश द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार महापुरुषों की जयन्तियां, सफाई अभियान एवं शहीद दिवस इत्यादि के कार्यक्रम।

20. All India Survey on Higher Education [AISHE]: 2010-11 से प्रदेश के उच्च शिक्षा की स्थिति हेतु मानव संसाधन मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष annual web base survey

21. Anti Ragging cell : रैगिंग विरोध समिति

22. जन भागीदारी समिति:- महत्वपूर्ण निर्णय म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार समिति के माध्यम से

23. Placement Cell :- वर्ष भर म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार ट्रेडिंग, स्किल डेवलेपमेण्ट ,Campus Placement एवं Crew fair

अध्याय 15 क्रमशः

संस्था/अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू होंगे:

- MP. Civil Services Rules.
- म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961
- म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965
- सेवा शर्तें, leave यात्रा misconduct etc.
- भण्डार क्रय नियम

अध्याय 16

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

1. महाविद्यालय संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
2. प्रत्येक सत्र में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की सूची
3. मध्य प्रदेश शासन से समय-समय पर किए गए पत्राचार
4. छात्रवृत्तियों से संबंधित लाभार्थियों की सूची
5. उत्कृष्ट अथवा स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय के परीणता प्राप्त छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति (महाविद्यालय निर्देशानुसार)